

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 53 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 53/2024

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया  
वादी

बनाम

1. गुरलाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया
2. दर्शनसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया
3. परमजीत सिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया
4. बलजीत कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया
5. शिवराजसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया
6. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सादुलशहर
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कोर्ट रोड संगरिया
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोलीपाल  
तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:-

तहसीलदार संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि चक 23 एएमपी के खाता संख्या 79/38 व चक 24 एएमपी के खाता संख्या 58/37 में मृतक महमा सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम दर्ज रकबा नियमानुसार उनके वारिसानों के नाम दर्ज कर उक्त चकों से महमा सिंह का नाम कलमजन किया जावे एवं चक 24 एएमपी के खाता संख्या 58/37 में वादी का 0.253 है. हिस्सा कम कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बढ़ाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1. वादी बलविन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 23 एएमपी खाता संख्या 79/38		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
109/164	39	3,4/0.506 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है. कुल 0.759 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि
चक 24 एएमपी खाता संख्या 58/37		
107/166	39	12,18,19/0.759 है. 22/1/0.228 है. 22/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 23/1/0.228 है. 22/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, 24/1/0.228 है. 24/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता
107/167	46	2/0.253 है. 9/2/0.038 है. कुल 2.062 है. नहरी मय गै.मु.

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

2. प्रतिवादी संख्या 2 दर्शन सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी सिहपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 23 एएमपी खाता संख्या 79/38		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
109/164	39	2,9,12/0.759
चक 24 एएमपी खाता संख्या 58/37		
107/166	39	6/1/0.228, 6/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 7,14/0.506 है. 15/1/0.228, 15/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 17/0.253 है.
107/167	46	9/2/0.038 कुल 1.556 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी संख्या 3 परमजीत सिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी सिहपुरा के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 24 एएमपी खाता संख्या 58/37		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
108/166	40	10,11,20/0.759 है.

- प्रतिवादी संख्या 1 गुरलाल सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 23 एएमपी खाता संख्या 79/38		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
109/164	39	6/1/0.063, 7/0.127, कुल 0.190 है. नहरी
चक 24 एएमपी खाता संख्या 58/37		
108/167	45	15/1/0.126, 15/2/0.013 गै.मु. खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 5/1/0.180, 5/2/0.025 है. गै.मु. खाला
107/166	39	13/0.253 है. कुल 0.850 है. नहरी मय गै.मु.

5. प्रतिवादी संख्या 5 शिवराज सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 23 एएमपी खाता संख्या 79/38		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
109/164	39	6/1/0.165, 6/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.190 है. नहरी मय गै.मु.
चक 24 एएमपी खाता संख्या 58/37		
108/167	45	4/0.142, 7/0.253, 14/0.202, कुल 0.597 है. नहरी

6. मृतक महमा सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के वारिसानों एवं प्रतिवादी संख्या 4 बलजीत कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि :-

चक 23 एएमपी खाता संख्या 79/38		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
109/164	39	7/0.126, 8/0.253 कुल 0.379 है. नहरी
चक 24 एएमपी खाता संख्या 58/37		
108/165	35	15/0.253 है.
108/166	40	4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. खाला 5/1/0.202, 5/2/0.051 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला 24/1/0.152, 24/3/0.025 गै.मु. रास्ता
108/167	45	4/0.111, 5/1/0.048 कुल 1.348 है. नहरी मय गै.मु.


मान्यक कलेक्टर एवं  
उपस्थित अधिकारी  
संगरिया

अतः यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....~~✓~~.....नल.....~~✓~~.....मुब्लिक.....~~✓~~.....निल.....~~✓~~.....बाबत्.....~~✓~~.....निल.....~~100~~.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....~~✓~~..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...15.4.2021...की जारी किया गया।



  
( जय कौशिक )  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया